

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
 विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
 कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
 सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
 व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
 अवश्य लिखा जाये जिससे समिया हो।



ग्राम : गूलीवर्डी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक/एफ/सम्बन्धता/2009/ 5199

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विद्यार्थी महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अव्याप्ति सम्बन्धता हेतु अबुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अव्याप्ति निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442877)

(2) प्रो. ए.के. हल्के, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. रमेश शर्मा, प्राचार्य, संत योगी मानरिंद्र शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर भूत्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वर्ण उत्तरदायी होगा। निरीक्षण समिति नियुक्त उच्च शिक्षा, भौपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तृत ही निरीक्षण समिति का पुर्वज्ञ किया जावेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विवा छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. डी.ए. मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आश्रम है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आनुकूल उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भौपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बन्धता)